राजस्थान – सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या– 13/24 प्रा/पत्र

1– श्री शिव उर्फ शिव प्रसाद S/o जानकीदास वैरागी निवासी- थाबोला तहसील- माण्डल

– प्रार्थी

बनाम

1– श्रीमती हंजा W/o श्री रामकरण लुहार निवासी- थाबोला तहसील- माण्डल (भीलवाडा)
(मृतकोपरान्त प्रार्थना संलग्न)

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111– 128 रा.भू. रा. अधि. 1956

दिनांक :– 19.3.24

:: आदेश ::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा. भू.रा. अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम थाबोला पटवार हल्का बावड़ी तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न0 926, 927, 929, 1110, 1111, 1113, 928 कुल किता 07 रकबा 6.2726 हैक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मृतदायिवा के सीता चिन्ह नही होने से आये दिनर सीमा संबधी विवाद उत्पन्ना होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते / सयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 02-02-24 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से आधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा. भू.रा. अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम थाबोला पटवार हल्का बावड़ी तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न0 926, 927, 929, 1110, 1111, 1113, 928 कुल किता 07 रकबा 6-2726 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू– अभिलेख निरीक्षक मेजा को 2600-/ रूपये /– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी मै मोके व कब्जे की यस्थास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नही की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.04.24 13:20:28 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिर्पोट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

CamScanner